सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 02, सोमवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 23, *2024* *Pausa 02, Monday, Saka 1946- December 23, 2024*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 17, 2024

संख्या एफ.15(76)पंरावि/विधि/न.पा.गठन/सवाईमाधोपुर/24/ईफाईल-49191/12305632:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4956 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत खण्डार के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम खण्डार, कस्बा खण्डार एवं ग्राम पंचायत गोठडा के राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा, रावरा, पादडा विस्थापित एवं ग्राम पंचायत बरनावदा के राजस्व ग्राम बानीपुरा (जिला सवाईमाधोपुर) को सम्मिलित करते हुए खण्डार को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका खण्डार में सम्मिलित ग्राम पंचायत खण्डार के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम किला खण्डार, कस्बा खण्डार एवं ग्राम पंचायत गोठडा के राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा, रावरा, पादडा विस्थापित एवं ग्राम पंचायत बरनावदा के राजस्व ग्राम बानीपुरा (पंचायत समिति-खण्डार) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगरपालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

उपरोक्तानुसार पृथक करने की कार्यवाही के पश्चात ग्राम पंचायत गोठडा एवं बरनावदा का निम्नानुसार स्वरूप रहेगा :-

ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1. गोठडा	1. गोठडा 2. ईशापुरा 3. चक ईशापुरा 4. कमोखरी 5. मुकन्दपुरा
2. बरनावदा	1. बरनावदा

	2. परसीपुरा 3. बडोद 4. पादडी तोपखाना 5. ओणकलां

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।